485
27-10-20

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।
(कुलसचिव कार्यालय)

कार्यवाही विवरण विद्या परिषद की 61वीं बैठक दिनांक 01 अक्टूबर 2020

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा की विद्या परिषद की 61वीं बैठक दिनांक 01 अक्टूबर 2020 को पूर्वाह्न 11.30 बजे ऑनलाइन आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1. प्रो0 आर0एल0 गोदारा कुलपति, वमखुविवि,कोटा।
2. प्रो0 बी0 अरूण कुमार, वमखुविवि,कोटा।
3. डा0 सुबोध कुमार, सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
4. डा0 अनिल कुमार जैन, सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
5. डा0 जितेन्द्र कुमार शर्मा, निदेशक, क्षे0के0 वमखुविवि,जोधपुर।
6. डॉ0 दिलिप कुमार शर्मा, निदेशक क्षे0के0,वमखुविवि,कोटा।
7. डॉ0 पतंजलि मिश्रा, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।
8. डॉ0 कपिल गौतम, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
9. डॉ0 श्रीमती क्षमता चौधरी, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।
10. डॉ0 अनुरोध गोधा, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा ।
11. डा0 अकबर अली, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा ।
12. डॉ0 (श्रीमती) अनुराधा दुबे, सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।
13. डा0 कीर्ती सिंह सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
14. डा0 आलोक चौहान, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
15. डा0 संदीप हुड्डा, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
16. डा0 सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
17. श्री रवि गुप्ता, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
18. श्री सुशील राजपुरोहित, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
19. श्री नीरज अरोड़ा, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
20. डा0 मोहम्मद नईम,संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप'4) विभाग, राज0 सरकार सचिवालय, जयपुर। (विशेष आमंत्रित)
21. डा0 एम0ए0 खान, परीक्षा नियंत्रक, वमखुविवि,कोटा।(विशेष आमंत्रित)
22. एस0डी0 मीना, कुलसचिव,वमखुविवि,कोटा। (सदस्य सचिव)

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं आभार तथा संयुक्त सचिव डा0 मोहम्मद नईम साहब की व्यक्तिशः उपस्थिति हेतु आभार प्रकट करने के उपरांत कार्यसूची विवरण के अनुसार बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करवाने के निर्देश सदन के सदस्य सचिव को प्रदान किए । कार्यसूची विवरण पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

27/10/20

1/7

61/01 विद्या परिषद की 60वीं बैठक दिनांक 27 मई 2020 के कार्यवाही विवरण पर संत्रात परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने के सम्बन्ध में प्रबंध मंडल द्वारा किए गए विचार विमर्श की पालना सम्बन्धी चर्चा उपरांत कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 60वीं बैठक के संत्रांत परीक्षा सम्बन्धी निर्णय पर प्रबंध मंडल में हुए विचार विमर्श के अनुसार कार्यवाही करने पर सहमति के साथ कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

61/02 विद्या परिषद की 60वीं बैठक दिनांक 27 मई 2020 के निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन।

सदन द्वारा विद्या परिषद की 60वीं बैठक के निर्णयों की पालना में की गई कार्यवाही के अनुपालना प्रतिवेदन की पुष्टि की गई।

61/03 दूरस्थ शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दूरस्थ शिक्षा अधिनियम 2020 को विश्वविद्यालय में लागू किए जाने की स्वीकृति।

दूरस्थ शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिनियम के मुख्य बिंदुओं से सदन को अवगत करवाते हुए प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को बताया गया कि उक्त अधिनियम विश्वविद्यालय पर आवश्यक रूप से लागू है, उक्त जानकारी के क्रम में सदस्यगणों का मत था कि इंदिरा गांधी रा0मु0 विश्वविद्यालय द्वारा जिस प्रकार से इसे लागू किया जा रहा है,उसी प्रकार से विश्वविद्यालय में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। चर्चा उपरांत सदन द्वारा दूरस्थ शिक्षा अधिनियम 2020 को विश्वविद्यालय में लागू किए जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि इस अधिनियम का विस्तृत अध्ययन कर इसे लागू करने हेतु वर्तमान व्यवस्था में क्या–क्या परिर्वतन किए जाने है इसकी कार्ययोजना बनाने हेतु एक समिति गठित की जाए।

61/04 मास्टर आफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (MCA) कार्यक्रम की शैक्षणिक संरचना,समयावधि,शुल्क और प्रवेश योग्यता में परिर्वतन सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन के समक्ष प्रस्ताव पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम ए0आई0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशानुसार तीन वर्ष के स्थान पर दो वर्ष का होगा एवं प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी करवाया जाना होगा, यह परीक्षा अक्टूबर 2020 के अंत तक आयोजित करवाकर इन प्रावधानों का वर्तमान सत्र से ही लागू किए जाने के सम्बन्ध में सदन से विचार विमर्श का अनुरोध किया गया। कार्यक्रम संयोजक श्री नीरज अरोड़ा द्वारा सदन को जानकारी दी गई कि कार्यक्रम की सी0डी0सी0 हो गई है अतः जुलाई 2020 के सत्र से इन प्रावधानों को लागू किया जाने में कठिनाई नहीं आएगी। उक्त जानकारी उपरांत माननीय कुलपति महोदय द्वारा छात्रहित में इसे जुलाई 2020 सत्र से लागू करने के विचार से सदन को अवगत करवाया सदन की ओर से माननीय कुलपति महोदय के विचार से सहमति प्रकट करनते हुए प्रस्ताव को जुलाई 2020 सत्र से लागू करने का निणर्य किया गया।

61/05 प्रसिद्व संत बावजी चतुर सिंह द्वारा रचित साहित्य को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में समावेश करने के सम्बन्ध में सांस्कृतिक एवं पुरातत्व साहित्य कला विभाग के प्रस्ताव पर निर्णय।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इतिहास विषय के समन्वयक डा0 अकबर अली द्वारा सदन को अवगत करवाया कि इतिहास विषय का कोई विषय विशेषज्ञ शिक्षक विश्वविद्यालय में नहीं है अतः इस पाठ्यक्रम को किस कार्यक्रम में किस रूप में सम्मिलित किया जाना है इस पर विचार विमर्श हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए, सदस्यगणों का मत था कि इस समिति में सम्बन्धित साहित्य के विशेषज्ञ को भी सम्मिलित किया जाए। सदन द्वारा उक्त चर्चा उपरांत इस सम्बन्ध में समिति गठित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

61/06 आगामी प्रवेश सत्र (जनवरी–2021) से BAP,BCP एवं BScP कार्यक्रमों को बंद करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को इस कार्यक्रम को बंद करने हेतु निम्नलिखित कारणों से अवगत करवाया गयाः–

1. मध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आदेश संख्या 1214 दिनांक 22 जून 2020 द्वारा बीएपी,बीसीपी एवं बीएससीपी (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षाओं को पूर्व में उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष दी गई समकक्षता को सत्र 2020–21 से समाप्त कर दिया गया है।
2. हाल ही में अधिसूचना (04सितंबर 2020) में प्रकाशित किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाईन कार्यक्रम) विनियम 2020 में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रद्वत उच्च शिक्षा को 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के पश्चात् स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रमाण पत्र या डिप्लोमा के रूप में ही स्वीकार करना।

उक्त जानकारी के उपरांत चर्चा में अधिकांश सदस्यों का मत था कि देश के कई वैद्यानिक शैक्षिक निकायों द्वारा इसे बारहवीं के समकक्ष नहीं माने जाने के कारण BAP,BCP एवं BScP कार्यक्रम के माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को रोजगार के समय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है एवं विधिक कठिनाइयों का सामना भी विश्वविद्यालय को करना पड़ा है, इस कारण इसे बंद करना उचित रहेगा, डा0 अनिल जैन द्वारा कहा गया कि इन पाठ्यक्रमों को करने के पश्चात् स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बी0एड0 में प्रवेश प्रदान नहीं किया जा रहा है उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है अतः बिना बारहवी कक्षा के समकक्ष किए इन्हें चलाया जाना उचित नहीं है। डा0 जितेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा इस कार्यक्रम को बंद करने से छात्रों की प्रवेश संख्या पर विपरीत प्रभाव की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध किया गया कि जिन शैक्षणिक निकायों द्वारा इसे बारहवीं के समकक्ष नहीं माना गया है उनके समक्ष विश्वविद्यालय की ओर से मान्यता के लिए पुनः गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। डा0 अनुरोध गोधा ने मत व्यक्त किया कि कार्यक्रम को बंद करने के कारण जो पाठ्यसामग्री उपयोग योग्य नहीं रहती है उसके सम्बन्ध में आडिट आक्षेप में विषय संयोजक को जिम्मेदार बताया जाता है,इस प्रकरण में भी इसी प्रकार की कार्यवाही ना हो यह भी सुनिश्चित क़िया जाना चाहिए, प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने सदन को अवगत करवाया कि इन कार्यक्रमों को छात्र संख्या में कमी आने के कारण बंद नहीं किया जा रहा है,बल्कि सम्बन्धित रेग्युलेटरी आथरिटी द्वारा अचानक मान्यता समाप्त करने के कारण इन्हें समाप्त किया जा रहा है, इस कारण कार्यक्रम संयोजक को अनुपयोगी पाठ्यसामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, सदन द्वारा प्रो0 बी0 अरूण कुमार के कथन से सहमती व्यक्त की गई।

सदन द्वारा चर्चा उपरांत निर्णय किया गया कि BAP,BCP एवं BScP कार्यक्रमों को बंद करते हुए इसकी मान्यता के लिए पुनः नए सिरे से प्रयास किये जाए।

61/07 एक डिग्री कार्यक्रम को पूर्ण किए बिना उसे ब्लाक कर दूसरी डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लिए जाने पर नव प्रवेशित कार्यक्रम को पूर्ण किए बिना उसे ब्लाक करवाकर पूर्व में ब्लाक करवाए गए कार्यक्रम को अनब्लाक करवाने सम्बन्धी नियमों बाबत् प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान डा0 पतंजली मिश्रा का मत था कि ब्लाक/अनब्लाक की सुविधा के कारण छात्रों द्वारा एक ही वर्ष में एक साथ दो उपाधि हासिल कर ली जाती है, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के विरूद्व होने के कारण विश्वविद्यालय के लिए पेरशानी का कारण भी बनती है, इस सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा भी सदन को अवगत करवाया गया कि अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा एक ही वर्ष में दो उपाधियां उत्तीर्ण होने के प्रकरणों में नियुक्तियां नहीं दी जाती है। डा0 अनिल जैन का मत था कि यदि इस सुविधा को समाप्त किया जाता है तो विश्वविद्यालय छात्र प्रवेश संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा विशेष रूप से उनके द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम के छात्रों को होने वाली असुविधा की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया।

सदन में उक्त चर्चा उपरांत माननीय कुलपति महोदय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि एक कार्यक्रम में प्रवेश लेने की अधिकतम अवधि तक छात्रों को दी जाने वाली उक्त सुविधा को बहाल रखा जाना चाहिए सदन द्वारा माननीय कुलपति महोदय के सुझाव से सहमति व्यक्त की गई।

61/08 वर्ष भर विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश आवेदन जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने बाबत् प्रस्ताव।

सदन में चर्चा के दौरान सदस्यगणों ने जानकारी चाही गई कि जिन कार्यक्रमों में वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है, अथवा जिनमें प्रवेश हेतु सीटों का कोटा निर्धारित है इनमें प्रवेश के सम्बन्ध में क्या नीति रहेगी यह स्पष्ट होना चाहिए एवं छात्रों को प्रवेश फार्म आनलाइन भरते समय ही इसकी जानकारी आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए कि उसका प्रवेश सत्र कब से प्रारंभ होगा, पाठ्यसामग्री कब प्राप्त होगी एवं परीक्षा कौनसे माह में आयोजित होगी। सदस्य श्री रवि गुप्ता द्वारा सदन के समक्ष यह तथ्य रखा कि जिन छात्रों के प्रवेश निरस्त होंगे उनका शुल्क लौटाने में वर्तमान व्यवस्था में ही काफी समय लगता है,जिसके कारण छात्रों की शिकायतें संपर्क पोर्टल/यू0जी0सी0 के शिकायत पोर्टल पर निरंतर आती रहती है नवीन व्यवस्था से शुल्क लौटाने में काफी लंबा समय लगेगा जिसके कारण शिकायतों में वृद्वि होगी अतः शुल्क वापसी की प्रक्रिया को भी सरल बनाते हुए स्पष्ट किया जाना चाहिए। कुछ सदस्यों द्वारा ऑनलाईन प्रवेश में तकनीकी समस्याओं के सम्बन्ध में भी विचार करने का अनुरोध किया गया।
उक्त चर्चा उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा यह जानकारी देते हुए कि कई अन्य विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था लागू है वहां का अध्ययन भी किया जा सकता है, अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया कि प्रांरभ में जिन कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा अथवा अन्य वैद्यानिक रेग्युलेटरी ऑथोरिटी की बाध्यता नहीं है उन कार्यक्रमों में वर्ष पर्यन्त प्रवेश प्रक्रिया को प्रारंभ की जा सकती है, बाद में सफल होने पर अन्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी यह व्यवस्था लागू की जा सकती है।इससे पूर्व तकनीकी पहलू का भी अध्ययन किया जाएगा। सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय की उक्त जानकारी के अनुसार कार्यवाही करने के निर्णय के साथ सामान्य प्रकृति वाले कार्यक्रमों में प्रायोगिक तौर पर वर्षभर प्रवेश प्रक्रिया जारी रखे जाने का अनुमोदन किया गया।

61/09 डा0 अनुरोध गोधा को पुस्तकालय समिति में विद्या परिषद के नामिनी के रूप में सदस्य मनोनीत किए जाने के माननीय कुलपति महोदय के निर्णय का अनुमोदन।

सदन द्वारा डा0 अनुरोध गोधा को पुस्तकालय समिति में विद्या परिषद के नामिनी मनोनीत किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

61/10 कोविड संक्रमण के कारण परीक्षा के सम्बन्ध में मान0सर्वोच्च न्यायालय/यूजीसी एवं राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में परीक्षा प्रश्न पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा अवधि तीन घंटे के स्थान पर दो घंटे करने सम्बन्धी किए गए संशोधनों का अनुमोदन।

सदन द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा अवधि तीन घंटे के स्थान पर दो घंटे करने सम्बन्धी किए गए संशोधनों का अनुमोदन।

61/11 बी0एल0आई0एस0 एवं डी0एल0आई0एस0 पाठ्यक्रमों की परीक्षा पद्वति में किए गए परिर्वतन अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए डा0 सुबोध कुमार का मत था कि बी0एल0आई0एस0एवं डी0एल0आई0एस0 कार्यक्रमों में प्रेक्टिकल वर्क का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसके स्थान पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगवाकर अंक दिए जाने से छात्र की उपाधि पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है, अतः इस सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर विचार किया जाना आवश्यक है, जिस समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यवाही प्रस्तावित की गई है उस समिति में कोई भी शिक्षक विषय का विशेषज्ञ नहीं था। सदस्य श्री रवि गुप्ता का कथन था कि किसी भी विषय विशेषज्ञ की ओर से लिखित में यह नहीं दिया गया है कि सम्बन्धित पाठ्यक्रम में परीक्षा के स्थान पर प्रोजेक्ट कार्य कर दिया जाए ,डा0 सुबोध कुमार एवं डा0 सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ,डा0 संदीप हुड्डा एवं डा0 पतंजलि मिश्रा द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया प्रस्ताव में तकनीकी पक्ष होने के कारण विषय विशेषज्ञों की समिति बनाकर लिखित राय ली जानी चाहिए उसके बाद ही प्रस्ताव के सन्दर्भ में निर्णय किया जाना उचित होगा प्रस्ताव के सन्दर्भ में उनके द्वारा इस संदर्भ में अपनी असहमति व्यक्त की गई, डा0 सुशील राजपुरोहित द्वारा भी प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गई। बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा डा0 मोहम्मद नईम ने सदन को बताया कि कोविड संक्रमण काल असाधरण संकट काल है इसमें अन्य सभी विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार की गाईड लाईन के अनुसार प्रेक्टिकल कार्य के स्थान पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगवाकर अथवा अतिआवश्यक होने पर ही छात्र से दूरभाष पर संपर्क कर प्रश्न पूछने पर अंक प्रदान करने की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है तो फिर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में इस पर कार्यवाही में समस्या क्या आ रही है। सदस्यों द्वारा इस पर यह मत व्यक्त किया कि अन्य कार्यक्रमों की भांति पुस्तकालय विज्ञान कार्यक्रमों में प्रेक्टिकल कार्य अलग एवं विशिष्ट प्रकृति का होता है इस कारण इसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण माना जाना उचित नहीं है एवं इसकी लिखित अनुशंसा भी किसी एक्पर्ट द्वारा नहीं की गई है।

उक्त चर्चा उपरांत प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को यह स्पष्ट रूप से अवगत करवाया गया कि प्रेक्टिल कार्य के स्थान पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगवाने का निर्णय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सेवानिवृत्त आचार्य से दूरभाष पर प्राप्त सहमति के आधार पर लिया गया है जिसकी जानकारी उनके द्वारा सम्बन्धित समिति के समक्ष पूर्व में भी दी गई थी, कई व्यावहारिक कठिनाईयों के कारण उनकी व्यक्तिशः विश्वविद्यालय में उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही थी एवं तत्काल निर्णय की आवश्यकता के कारण दूरभाष पर सहमति प्राप्त किया जाना कोई नियमविरूद्व नहीं है, राज्य सरकार से भी कई निर्देश समय की कमी के कारण दूरभाष पर प्राप्त होते है,जिन पर कार्यवाही की जानी आवश्यक होती है उन मामलों में लिखित निर्देश की आवश्यकता नहीं देखी जा सकती है, इसी प्रकार इस मामले में भी मेरी स्वंय की व्यक्तिशः जिम्मेदारी के अनुसार हीं मैं सदन को यह

आवश्वस्त कर रहा हूँ कि प्रो0 एच0 बी0 नंदवाना पूर्व आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान ने बी0एल0आई0एस0 एंव डी0एल0आई0एस0 पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षा में विकल्प के तौर पर विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट देने और इसके आधार पर मूल्यांकन का सुझाव राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उस पत्र के आधार पर था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि विज्ञान विषयों के प्रेक्टिकल रिकार्ड या प्रोजेक्ट के आधार पर मूल्यांकन कर विद्यार्थियों को अंक प्रदान कर परीक्षा परिणाम घोषित करने की बात कही गई थी।

तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी यह स्पष्ट किया कि कोविड 2019 की स्थिति एवं छात्रहित को घ्यान में रखते हुए परीक्षा पद्वति में किए गए परिर्वतन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सदन के समक्ष रखा गया है।

सदन द्वारा उक्त चचौ के बाद बी0एल0आई0एस0 एवं डी0एल0आई0एस0 पाठ्यक्रमों की परीक्षा पद्वति में किए गए परिर्वतन सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में विषय विषशज्ञों की एक समिति बनाए जाने का निर्णय किया गया।

61/12 विश्वविद्यालय के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, लेटरल एवं एडिशनल तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्वए एम.बी.ए./एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने बाबत् प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान डा0 अनिल कुमार जैन का मत था कि बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नति हेतु एन0सी0टी0ई0 से पूछा जाना आवश्यक है,वर्तमान में ओ0डी0एल0 नियमानुसार प्रोन्नति दिए जाने में कोई आप्पति नहीं है लेकिन भविष्य में (छात्र की अधिकतम अवधि के अन्तर्गत) कभी भी बिना परीक्षा दिए प्रोन्नत करना हो तो एनसीटीई से पूछा जाना आवश्यक है, माननीय कुलपति महोदय एवं डॉ0 मो0 नईम द्वारा भी इस पर सहमति जताई गई कि यू0जी0सी0 के दिशा निर्देश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (28.08.20) एवं राज्य सरकार के पत्र की पालना में ऐसे पाठ्यक्रम जिन पर वैद्यानिक बाध्यता है, उनके अलावा अन्य पाठ्यक्रमों में प्रोन्नति की जाए इसके उपरांत स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं लेटरल तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्वए एम.बी.ए./एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि रेगुलेटरी निकायों के दिशा निर्देशों का भी पालना किया जाएगा।

61/13 सेंटर फार डायसपोरा स्टेडी खोले जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्य डा0 पतंजलि मिश्रा का सुझाव था कि सेंटर फार डायसपोरा स्टेडी के प्रशासनिक ढांचे में सहायक आचार्यो को भी स्थान प्रदान किया जाए,सदन द्वारा उक्त सुझाव को नोट करते हुए सेंटर फार डायसपोरा स्टेडी खोले जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

61/14 विश्वविद्यालय का तेहरवां दीक्षातं समारोह आनलाइन आयोजित किए जाने के राजभवन के निर्देश का अनुमोदन एवं दीक्षा कार्यक्रम एवं दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाने सम्बन्धी अन्य प्रस्तावों का अनुमोदन।

27/X/20

राजभवन के निर्देशानुसार दीक्षांत समारोह आनलाईन आयोजित किए जाने पर सदन द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न दीक्षांत कार्यक्रम का वाचन कर ग्रेस पास किया गया एवं दीक्षांत कार्यक्रम सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए:–

23. जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम बारहवें दीक्षान्त समारोह के बाद घोषित हुए है, उनमें सफल हुए छात्रों को उपाधि/डिप्लोमा प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
24. परीक्षा दिसंबर–2018 एवं जून–2019 तक आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में सफल एवं शोध कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले छात्रों को उपाधि/ डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न दीक्षांत कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया।

तदुपरांत आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के साथ ही बैठक समाप्त घोषित की गई।

27/11/20

(शंभू दयाल मीना)
कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव(विद्या परिषद)